



सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance
2022-23



राजस्थान शासन

आय—व्ययक एक दृष्टि में **Budget At A Glance**

2022-23

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
STATISTICS DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR

आय-व्ययक एक दृष्टि में
BUDGET AT A GLANCE
2022-23

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2020-21	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2021-22	संशोधित अनुमान R.E. 2021-22	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2022-23
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व प्राप्तियां Revenue Receipts	13430788.25	18433012.54	18943148.72	21497723.50
(i)	राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	6028344.28	9004961.85	8280306.35	9829366.75
(ii)	केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	3557577.00	4010681.00	4479126.00	4921129.00
(iii)	कर भिन्न राजस्व Non-Tax Revenue	1365302.44	1769820.66	1854738.49	2215466.38
(iv)	केन्द्रीय सहायता Union Grant	2479564.53	3647549.03	4328977.88	4531761.37
2	पूंजीगत प्राप्तियां Capital Receipts	10070392.92	6650190.23	12969720.44	13132498.95
(i)	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली Recovery of Loans & Advances	37352.59	65518.62	232617.60	26426.02
(ii)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	1407.79	2000.00	5296.45	1500.02
(iii)	लोक ऋण एवं शुद्ध लोक लेखा Public Debt and Net Public Account (इसमें से पुनर्भुगतान) (of which Repayments)	10031632.54 (4102298.45)	6532671.61 (1758925.22)	12681806.39 (6476861.38)	13104572.91 (7271478.37)
(iv)	आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	50000.00	50000.00	0.00
2.1	शुद्ध लोक ऋण तथा लोक लेखा Net Public Debt and Public Account	5929334.09	4773746.39	6204945.01	5833094.54
3	कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts	23501181.17	25083202.77	31912869.16	34630222.45

क्रमशः / Contd...

आय-व्ययक एक दृष्टि में
BUDGET AT A GLANCE

2022-23





(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2020-21	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2021-22	संशोधित अनुमान R.E. 2021-22	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2022-23
1	2	3	4	5	6
4	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	17830940.74	20808016.58	22512084.30	23846579.07
	(इसमें से ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	2520181.23	2836037.83	2825504.07	2883811.00
5	पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	5678448.77	4266716.80	9397341.32	10771703.90
	आकस्मिकता निधि का विनियोग Appropriation of Contingency Fund	0.00	50000.00	50000.00	0.00
6	कुल व्यय (4+5) Total Expenditure	23509389.51	25074733.38	31909425.62	34618282.97
7	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (1-4) Revenue Surplus (+) / Deficit (-)	-4400152.49	-2375004.04	-3568935.58	-2348855.57
8	बजट आधिक्य (+)/घाटा (-) (3-6) Budgetary Surplus (+)/ Deficit (-)	-8208.34	8469.39	3443.54	11939.48
9	राजकोषीय घाटा Fiscal Deficit	5937542.43	4765277.00	6201501.47	5821155.06
10	प्रारम्भिक आधिक्य (+)/घाटा (-) Primary Surplus (+)/ Deficit (-)	-3417361.20	-1929239.17	-3375997.40	-2937344.06

आय व्ययक एक दृष्टि में


BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़ / Crore



रुपया आता है


RUPEE COMES FROM



पै. – पैसा P. – Paise

रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



पै. – पैसा P. – Paise

प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2020-21	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2021-22	संशोधित अनुमान R.E. 2021-22	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2022-23
1	2	3	4	5	6
1	स्वयं का कर राजस्व Own Tax Revenue	6028344.28	9004961.85	8280306.35	9829366.75
(i)	राज्य वस्तु एवं सेवा कर State Goods and Services Tax	2075486.69	3766270.00	3214500.00	3950000.00
(ii)	भू-राजस्व Land Revenue	27932.16	52470.50	62155.50	63265.50
(iii)	मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	529727.33	610000.00	680000.00	810000.00
(iv)	राज्य उत्पाद शुल्क State Excise Duty	985299.99	1325000.00	1350000.00	1500000.00
(v)	बिक्री कर Sales Tax	1747903.55	2280000.00	2100000.00	2500000.00
(vi)	वाहनों पर कर Tax on Vehicles	436817.29	650000.00	575000.00	700000.00
(vii)	विद्युत पर कर तथा शुल्क Taxes & Duties on Electricity	214239.22	290000.00	250000.00	275000.00
(viii)	अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	10938.05	31221.35	48650.85	31101.25
2	केन्द्रीय करों में हिस्सा Share in Central Taxes	3557577.00	4010681.00	4479126.00	4921129.00
(i)	वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax	1060262.00	1295878.00	1452911.00	1615860.00
(ii)	आयकर Income Tax	1097832.00	1185788.00	1326642.00	1483996.00
(iii)	निगम कर Corporation Tax	1071119.00	1166898.00	1325531.00	1536563.00
(iv)	संघ उत्पाद शुल्क Union Excise Duty	119876.00	117356.00	88075.00	66461.00
(v)	सीमा शुल्क Custom Duty	191039.00	242341.00	291873.00	213363.00
(vi)	सेवा कर Service Tax	15000.00	2471.00	-8658.00	4941.00
(vii)	अन्य कर Other Taxes	2449.00	-51.00	2752.00	-55.00

क्रमशः / Contd...

**प्राप्तियां
RECEIPTS**

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2020-21	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2021-22	संशोधित अनुमान R.E. 2021-22	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2022-23
1	2	3	4	5	6
	3 कर भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	1365302.44	1769820.66	1854738.49	2215466.38
	(i) ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	269315.03	170739.50	167652.22	191411.54
	(ii) लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	289.15	5825.12	6640.10	6740.10
	(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	1095698.26	1593256.04	1680446.17	2017314.74
	4 केन्द्रीय सहायता Union Grant	2479564.53	3647549.03	4328977.88	4531761.37
	5 कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4) Total Revenue Receipts	13430788.25	18433012.54	18943148.72	21497723.50

क्रमशः / Contd...

प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2020-21	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2021-22	संशोधित अनुमान R.E. 2021-22	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2022-23
1	2	3	4	5	6
6	पूंजीगत प्राप्तियां Capital Receipts	10070392.92	6650190.23	12969720.44	13132498.95
(i)	उधार एवं अग्रिम की वसूली Recovery of Loans & Advances	37352.59	65518.62	232617.60	26426.02
(ii)	आन्तरिक ऋण Internal Debt	8282783.58	5729709.05	10928308.01	11583131.02
(iii)	केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	713616.51	460704.15	954187.45	698751.09
(iv)	आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	50000.00	50000.00	0.00
(v)	शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Account	1035232.45	342258.41	799310.93	822690.80
(vi)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां Misc. Capital Receipts	1407.79	2000.00	5296.45	1500.02
7	कुल प्राप्तियां (5+6) Total Receipts	23501181.17	25083202.77	31912869.16	34630222.45

प्राप्तियां RECEIPTS

₹ करोड़ / Crore


स्वयं का कर राजस्व
OWN TAX REVENUE

केन्द्रीय करों में हिस्सा
SHARE IN CENTRAL TAXES

कर भिन्न राजस्व
NON-TAX REVENUE

केन्द्रीय सहायता
UNION GRANT

पूंजीगत प्राप्तियां
CAPITAL RECEIPTS



व्यय
EXPENDITURE


(₹ लाख / Lakh)

क्र.सं. S.N.	विवरण Particulars	लेखे Accounts 2020-21	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2021-22	संशोधित अनुमान R.E. 2021-22	आय-व्ययक अनुमान B.E. 2022-23
1	2	3	4	5	6
	I राजस्व व्यय Revenue Expenditure	17830940.74	20808016.58	22512084.30	23846579.07
(i)	सामान्य सेवाएं General Services	6014383.77	6765539.21	6819209.70	6934237.78
(ii)	सामाजिक सेवाएं Social Services	7400959.52	8758181.54	9097888.90	9702551.49
(iii)	आर्थिक सेवाएं Economic Services	4415590.50	5284291.21	6594981.65	7209785.57
(iv)	सहायता अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contributions	6.95	4.62	4.05	4.23
	II पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	5678448.77	4266716.80	9397341.32	10771703.90
1.	पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay	1527048.58	2421597.01	2808824.90	3480925.96
(i)	सामान्य सेवाएं General Services	39817.84	75182.64	89124.06	130931.09
(ii)	सामाजिक सेवाएं Social Services	764157.39	1166229.71	1301199.03	1428150.17
(iii)	आर्थिक सेवाएं Economic Services	723073.35	1180184.66	1418501.81	1921844.70
2.	लोक ऋण Public Debt	4102298.45	1758925.22	6476861.38	7271478.37
3.	ऋण एवं अग्रिम Loan and Advances	49101.74	36194.57	61655.04	19299.57
	आकस्मिकता निधि का विनियोग Appropriation of Contingency Fund	0.00	50000.00	50000.00	0.00
	कुल व्यय Total Expenditure	23509389.51	25074733.38	31909425.62	34618282.97

व्यय

EXPENDITURE

₹ करोड़ / Crore




कृषि, कृषक कल्याण एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर किये गये प्रावधानों का क्षेत्रवार विवरण
वित्तीय वर्ष 2022-23 आय-व्यय अनुमान
Sectorwise Details of Provisions made Under Agriculture, Farmer Welfare and
Allied Activities
Financial Year 2022-23 Budget Estimates

(₹ करोड़ / Crore)

क्र.सं. S.N.	गतिविधियां Activities	प्रावधान Provision
1	2	3
1.	आधारभूत संरचना विकास Infrastructure Development	11946.31
2.	कृषि अनुदान Agriculture Subsidy	29862.09
3.	कृषि आधारित अन्य गतिविधियां Other Activities related to Agriculture	846.01
4.	कृषि विपणन Agriculture Marketing	3007.95
5.	कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास Agriculture Education, Research and Skill Development	988.92
6.	कृषि साख Agricultural Credit	20270.00
7.	जोखिम प्रबन्धन Risk Management	4465.18
8.	प्रशासनिक गतिविधियां Administrative Activities	3334.97
9.	सामाजिक सुरक्षा Social Security	4217.25
	कुल योग Grand Total	78938.68

कृषि, कृषक कल्याण एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर किये गये प्रावधानों का क्षेत्रवार विवरण
 वित्तीय वर्ष 2022-23 आय-व्ययक अनुमान

Sectorwise Details of Provisions made Under Agriculture, Farmer Welfare
 and Allied Activities Financial Year 2022-23 Budget Estimates



मुख्य विशेषताएं

योजना / परियोजनाओं के उद्देश्य

2022–23

योजनाओं के उद्व्यय 2022-23 के मुख्य बिन्दु

आय-व्ययक अनुमान 2022-23 में योजना उद्व्यय अन्तर्गत ₹ 1,69,655.55 करोड़ प्रस्तावित है। योजनाओं के उद्व्ययों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	11577.83	6.82
2. ग्रामीण विकास	28051.71	16.54
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	289.22	0.17
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6135.46	3.62
5. विद्युत	25260.33	14.89
6. उद्योग एवं खनिज	2093.59	1.23
7. परिवहन	10026.87	5.91
8. वैज्ञानिक सेवाएं	24.17	0.01
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	78631.61	46.35
10. आर्थिक सेवाएं	3387.69	2.00
11. सामान्य सेवाएं	4177.07	2.46
योग	169655.55	100.00

क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं:

- कृषि विभाग के लिए ₹ 4,127.12 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए राशि ₹ 2,200.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए ₹ 350.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए ₹ 395.25 करोड़।
 - ◆ जल प्रबंधन के लिए ₹ 300.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹ 90.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिए ₹ 134.22 करोड़।
 - ◆ परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए ₹ 70.97 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए ₹ 26.00 करोड़।
- उद्यानिकी विभाग के लिए ₹ 1,439.49 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-ब) के लिए ₹ 300.18 करोड़।
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए ₹ 261.82 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए ₹ 104.25 करोड़।

- ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान के लिए ₹ 500.00 करोड़।
- पांच कृषि विश्वविद्यालयों के लिए ₹ 393.95 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि विपणन के लिये ₹ 507.20 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विकास योजनाओं के लिये ₹ 377.50 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिये ₹ 122.70 करोड़।
- पशुपालन विभाग के लिए ₹ 574.78 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ पशु अस्पताल और औषधालय के लिए ₹ 260.38 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए ₹ 51.56 करोड़।
 - ◆ पशुधन नस्ल सुधार योजना के लिए ₹ 20.00 करोड़।
- पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए ₹ 131.25 करोड़।
- गोपालन विभाग के लिए ₹ 1,518.40 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ गौशालाओं के लिए ₹ 724.00 करोड़ का अनुदान।
 - ◆ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए ₹ 440.00 करोड़।
 - ◆ नंदीशाला योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़।
- मत्स्य विभाग के लिए ₹ 6.84 करोड़ का प्रावधान।
- वन विभाग के लिए ₹ 588.07 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ बाघ परियोजना, रणथम्भोर के लिये ₹ 70.47 करोड़।
 - ◆ परिभ्रंशित वनों का पुनरारोपण के लिये ₹ 163.92 करोड़।
 - ◆ जलवायु परिवर्तन एवं रेगिस्तान विस्तार की रोकथाम योजना के लिये ₹ 117.09 करोड़।
- सहकारिता के लिये ₹ 2,256.48 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ कृषि ऋण माफी योजना के लिए ₹ 1,000.00 करोड़।
 - ◆ सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए ₹ 748.41 करोड़।
- जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण के लिये ₹ 34.25 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 156.06 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 245.07 लाख मै. टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 54.05 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 79.27 लाख मै. टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.05 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 3.50 लाख मै. टन

- ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 7.80 लाख हैक्टेयर
- ◆ कपास उत्पादन – 27.99 लाख गांठें
- ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 64.00 लाख
- ◆ बंध्याकरण – 6.00 लाख
- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 1,350 मिलियन (संख्या)
- ◆ मत्स्य उत्पादन – 80,000 मेट्रिक टन
- ◆ पौध वितरण – 55.00 लाख
- ◆ पौधारोपण (वानिकी) – 56,866.35 हैक्टेयर

2. ग्रामीण विकास:

- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज हेतु राशि ₹ 28,051.71 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 3,750.47 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹ 7,146.11 करोड़।
 - ◆ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिए ₹ 3,906.70 करोड़।
 - ◆ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 7,113.00 करोड़।
 - ◆ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹ 1,625.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण घटक) के लिए ₹ 352.42 करोड़।
 - ◆ राजीव गाँधी जल संचय योजना के लिये ₹ 400.00 करोड़।
 - ◆ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए ₹ 1000.00 करोड़।
 - ◆ जिला परिषद को सहायता के लिए ₹ 362.38 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹ 738.00 करोड़।
 - ◆ खण्ड एवं मध्यमवर्तीय पंचायतों को सहायता के लिए ₹ 906.12 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत 3.97 लाख नये आवासों का निर्माण।
 - ◆ स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 2,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।
 - ◆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 1,40,000 हैक्टर क्षेत्रफल उपचारित करना।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम:

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए ₹ 289.22 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ ग्रामीण रोजगार हेतु राज्य अनुदान के लिए ₹ 200.00 करोड़।
 - ◆ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 69.22 करोड़।
 - ◆ मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 10.00 करोड़।
 - ◆ मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 10.00 करोड़।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹ 6,135.46 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ परवन परियोजना के लिये ₹ 813.00 करोड़।
 - ◆ राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिये ₹ 350.13 करोड़।
 - ◆ बाह्य सहायतित परियोजना मरुक्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के लिये ₹ 497.92 करोड़।
 - ◆ धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए ₹ 250.00 करोड़।
 - ◆ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ₹ 354.00 करोड़।
 - ◆ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए ₹ 201.28 करोड़।
 - ◆ लघु सिंचाई कार्यों के लिये ₹ 226.00 करोड़।
 - ◆ जल संग्रहण संरचना कार्यों के लिये ₹ 410.00 करोड़।
 - ◆ अपर हाई लेवल कैनल ऑन माही डेम के लिये ₹ 200.00 करोड़।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के लिये ₹ 512.21 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के लिये ₹ 119.22 करोड़ का प्रावधान
- सिंचित क्षेत्र विकास के लिये ₹ 487.90 करोड़ का प्रावधान
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 43,947.94 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, जिसके अन्तर्गत—
 - 27,857 हैक्टेयर में वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 3,000 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 13,090.94 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा।

5. विद्युत:

- ऊर्जा क्षेत्र के लिये ₹ 25,260.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें सम्मिलित है:
- विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान योजना के लिए ₹ 21,020.44 करोड़।
 - राज्य सरकार द्वारा विद्युत कम्पनियों को ₹ 2,314.62 करोड़ का इक्विटी अंशदान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को ₹ 312.48 करोड़।
 - ◆ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को ₹ 210.00 करोड़।
 - ◆ विद्युत वितरण निगमों को ₹ 1,792.14 करोड़।
 - विद्युत शुल्क के प्रति अनुदान हेतु ₹ 1,643.97 करोड़ का प्रावधान।
 - कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में राहत हेतु ₹ 69.97 करोड़।

6. उद्योग एवं खनन:

- HPCL राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के लिए ₹ 1,495.05 करोड़ का प्रावधान।
- उद्योग विभाग के लिए ₹ 390.58 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- ◆ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के लिए ₹ 300.00 करोड़।
- रीको के लिए ₹ 105.00 करोड़ का प्रावधान।
- खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लिए ₹ 33.62 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 11,000 व्यक्तियों को ब्याज अनुदान।
 - ◆ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत 1,500 व्यक्तियों को ब्याज अनुदान।
 - ◆ जिला स्तर पर 35 तथा पंचायत समिति स्तर पर 250 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन।

7. परिवहन:

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए ₹ 8,938.05 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹ 2,185.00 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए ₹ 1,425.00 करोड़।
 - ◆ बाह्य सहायतित आर.एस.एच.डी.पी. के लिए ₹ 2,260.71 करोड़ (फेज-I ₹ 953.32 करोड़, फेज-II ₹ 1,307.39 करोड़)
 - ◆ केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 800.00 करोड़।
 - ◆ ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए ₹ 150.00 करोड़।
 - ◆ आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए ₹ 1,050.00 करोड़।
 - ◆ राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण के लिए ₹ 510.00 करोड़।
 - ◆ सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिये ₹ 400.00 करोड़।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ 1,945 कि.मी. राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण।
 - ◆ 8,750 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण, उन्नयन एवं नवीनीकरण।
 - ◆ 510 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
 - ◆ 1,700 कि.मी. मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण।
 - ◆ 90 कि.मी. शहरी सड़कों का सुदृढीकरण, उन्नयन एवं नवीनीकरण।
- परिवहन विभाग के लिये राशि ₹ 710.32 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये अनुदान ₹ 300.00 करोड़ (वीजीएफ सहित)।

- ◆ सड़क सुरक्षा निधि के लिये ₹ 90.00 करोड़।
- ◆ मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण के लिये ₹ 255.00 करोड़।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 19.70 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यावरण विभाग के लिये ₹ 4.47 करोड़ का प्रावधान।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं:

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 14,730.32 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹ 10,261.75 करोड़।
 - ◆ समग्र शिक्षा – स्टार परियोजना के लिए ₹ 178.63 करोड़।
 - ◆ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण (RTE) के लिए ₹ 500.00 करोड़।
 - ◆ स्कूल वापसी अभियान के लिए ₹ 300.00 करोड़।
 - ◆ प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायतीराज विभाग के माध्यम से ₹ 3,277.60 करोड़।
 - ◆ राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए ₹ 90.00 करोड़।
- मिड-डे-मील के लिए ₹ 1,450.05 करोड़।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये राशि ₹ 11,844.88 करोड़ प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 8,270.60 करोड़।
 - ◆ समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹ 1,938.46 करोड़।
 - ◆ विद्यालयों भवनों के निर्माण कार्य एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु नाबार्ड के तहत ₹ 298.85 करोड़।
 - ◆ खण्डीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के मॉडल विद्यालयों की स्थापना के लिए ₹ 427.60 करोड़।
 - ◆ पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए ₹ 270.50 करोड़।
 - ◆ बालिकाओं को साईकिल वितरण के लिए ₹ 130.00 करोड़।
 - ◆ मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के लिए ₹ 76.13 करोड़।
 - ◆ प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए ₹ 140.00 करोड़।
 - ◆ पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए ₹ 60.00 करोड़।
- महाविद्यालय शिक्षा विभाग के लिए ₹ 641.19 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ₹ 94.89 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिए ₹ 147.11 करोड़ का प्रावधान।
- संस्कृत शिक्षा के लिए ₹ 160.42 करोड़ का प्रावधान।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 8.00 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ मिड-डे-मील योजनान्तर्गत 69.22 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ प्रतिभावान बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 5.66 लाख बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि।
- ◆ स्कूटी वितरण योजना अन्तर्गत 12,580 छात्राओं को स्कूटी वितरण।
- ◆ मुख्यमंत्री सम्बल योजनान्तर्गत 450 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना।
- ◆ माध्यामिक शिक्षा में पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 4.83 लाख अनुसूचित जाति, 4.66 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 6.61 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ प्राथमिक शिक्षा में पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1.40 लाख अनुसूचित जाति एवं 1.65 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- ◆ साईकिल वितरण योजनान्तर्गत 3.70 लाख छात्राओं को साईकिल वितरण।
- ◆ लैपटॉप वितरण योजनान्तर्गत 28,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप।
- ◆ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1,00,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (आयुष सहित) के लिये ₹ 13,786.47 करोड़ का प्रावधान।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 4,775.24 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है:
- ◆ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹ 2,228.00 करोड़।
 - ◆ निःशुल्क दवा वितरण योजना के लिए ₹ 768.38 करोड़।
 - ◆ निःशुल्क जाँच योजना के लिए ₹ 194.95 करोड़।
 - ◆ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ₹ 430.93 करोड़।
 - ◆ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ₹ 591.80 करोड़।
 - ◆ उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ₹ 170.62 करोड़।
 - ◆ नाबार्ड सहायतित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए ₹ 120.00 करोड़।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के लिए ₹ 3,534.21 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
- ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹ 3,301.80 करोड़।
 - ◆ एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए ₹ 152.50 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिये ₹ 79.90 करोड़।
- परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹ 1,143.00 करोड़ का प्रावधान।

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹ 2,256.43 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ₹ 1,615.98 करोड़।
 - ◆ राजस्थान मेडीकल एज्यूकेशन सोसाइटी के लिए ₹ 310.00 करोड़।
 - ◆ झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसाइटी को अनुदान के ₹ 119.10 करोड़।
 - ◆ नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए ₹ 130.00 करोड़।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए ₹ 34.49 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर के लिए ₹ 174.69 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के लिए ₹ 239.26 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर के लिए ₹ 239.51 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के लिए ₹ 468.86 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर के लिए ₹ 362.77 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर के लिए ₹ 230.69 करोड़।
- आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी) के लिए ₹ 310.03 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 1.50 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
 - ◆ 113 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 37 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 228 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण।
 - ◆ 142 न्यू जनता क्लिनिकों को खोलना।
 - ◆ 07 जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- ग्रामीण एवं शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 6,795.59 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राजीव गाँधी लिफ्ट कैनल (तृतीय चरण) के लिए ₹ 384.95 करोड़।
 - ◆ ईसरदा बांध परियोजना के लिए ₹ 302.67 करोड़।
 - ◆ जल-जीवन मिशन अन्तर्गत संवर्द्धन एवं पुनर्गठन के लिए ₹ 1,313.54 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ जल जीवन मिशन अन्तर्गत 35.00 लाख फक्शनल घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.)

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹ 9,005.95 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ बाह्य सहायतित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के लिए ₹ 1,098.63 करोड़।

- ◆ राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के लिए ₹ 729.88 करोड़।
- ◆ केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 1,590.30 करोड़।
- ◆ राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 1,474.08 करोड़।
- ◆ चूंगी समाप्ति पुनर्भरण के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए ₹ 2,625.51 करोड़।
- ◆ अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के लिए ₹ 97.60 करोड़।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़।
- ◆ स्वच्छ भारत मिशन के लिए ₹ 125.00 करोड़।
- ◆ इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़।
- ◆ राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़।
- ◆ स्मार्ट सिटी योजना के लिए ₹ 474.00 करोड़।
- ◆ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए ₹ 60.00 करोड़।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 3,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करना।
- ◆ दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत 15,000 शहरी गरीबों को प्रशिक्षण।
- ◆ 3,000 शहरी गरीब युवकों को स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों से वित्तीय सहायता।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत 38,592 आवासों का निर्माण।
- ◆ इन्दिरा रसोई योजना अन्तर्गत 4.87 करोड़ थालियां उपलब्ध करवाना।

श्रम एवं श्रम कल्याण

- रोजगार विभाग के लिए ₹ 793.44 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 738.33 करोड़ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के सम्मिलित।
- श्रम विभाग के लिए ₹ 475.49 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 2,00,000 बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता।

पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा समाज कल्याण

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए ₹ 12,578.82 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- ◆ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 6,118.00 करोड़ ।
- ◆ मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 2,537.00 करोड़ ।
- ◆ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 692.00 करोड़।
- ◆ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत ₹ 438.88 करोड़ का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹ 267.80 करोड़, विधवा पेंशन हेतु ₹ 160.68 करोड़ एवं निःशक्तजन पेंशन योजना हेतु ₹ 10.40 करोड़ ।
- ◆ लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए ₹ 307.00 करोड़ ।
- ◆ अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹ 500.00 करोड़।
- ◆ अनु.जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹ 305.00 करोड़।
- ◆ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹ 87.77 करोड़।
- ◆ पालनहार योजना के लिए ₹ 580.00 करोड़।
- ◆ देवनारायण योजना के लिए ₹ 237.97 करोड़।
- ◆ सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं व आपदा राहत इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए ₹ 85.00 करोड़ ।
- ◆ अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ₹ 126.04 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए ₹ 65.16 करोड़।

➤ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- ◆ वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजनों के लिये मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 83.30 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 13.91 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य भी शामिल :
 - 57.78 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन।
 - 18.99 लाख को विधवा पेंशन।
 - 6.53 लाख व्यक्तियों को विशेष योग्यजन पेंशन।
- ◆ 4.95 लाख अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - 2.28 लाख अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
 - 2.27 लाख अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
 - 40,550 अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹ 234.01 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:
 - ◆ राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के लिए ₹ 100.00 करोड़ ।

- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 2,500 व्यक्तियों को संयुक्त सहायता अनुदान।
 - ◆ 250 विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
 - ◆ 1,100 विशेष योग्यजन को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुदान।
 - ◆ 300 विशेष योग्यजनों के विवाह हेतु सहायता।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये ₹ 709.35 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ "जनजाति कल्याण निधी" अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के लिए ₹ 455.32 करोड़।
 - ◆ भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत ₹ 105.00 करोड़।
 - ◆ जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए ₹ 90.00 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 27,210 विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास, 83,610 विद्यार्थियों को माँ-बाडी केन्द्रों एवं 3,770 विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय/मॉडल विद्यालय से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ 1.18 लाख सहरिया, 9,066 खैरवा व 3,253 कथौडी व्यक्तियों को दाल, तेल एवं देसी घी का मुफ्त वितरण।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 663.05 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ₹ 320.00 करोड़।
 - ◆ इन्दिरा महिला शक्ति योजना (आई.एम.शक्ति) के लिए ₹ 281.38 करोड़।
- बाल विकास सेवाओं हेतु ₹ 2,526.12 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना के लिए ₹ 1,241.85 करोड़।
 - ◆ पूरक पोषाहार के लिए ₹ 900.00 करोड़।
 - ◆ राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के लिए ₹ 215.55 करोड़।
 - ◆ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए ₹ 127.68 करोड़।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ 46.95 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ 3.60 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अन्तर्गत (पी.एम.एम.वी.वाई) लाभान्वित करने का लक्ष्य।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 240.34 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- ◆ मदरसा स्कूलों के लिए ₹ 70.00 करोड़।
- ◆ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 57.77 करोड़।
- **महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:**
 - ◆ 1,500 आवेदकों को मुख्यमंत्री अनुप्रति योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य।

बाल अधिकारिता निदेशालय

- बाल अधिकारिता निदेशालय के लिए ₹ 76.80 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ बाल संरक्षण योजना (सी.पी.एस.) के लिए ₹ 70.00 करोड़।

देवस्थान विभाग

- देवस्थान विभाग के लिए ₹ 19.84 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 15.00 करोड़ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के सम्मिलित।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए ₹ 527.72 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ कार्मिक कल्याण योजना के लिए ₹ 320.00 करोड़।
 - ◆ जीवन दुर्घटना बीमा योजना के लिये ₹ 200.00 करोड़।

10. आर्थिक सेवाएं:

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए ₹ 2,291.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:
 - ◆ मुख्यमंत्री की डिजीटल सेवा योजना के लिए ₹ 1,200.00 करोड़।
 - ◆ फिनटेक डिजीटल युनिवर्सिटी जोधपुर के लिए ₹ 150.00 करोड़।
 - ◆ डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के लिए ₹ 157.00 करोड़।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए ₹ 632.13 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ₹ 624.87 करोड़ की राशि भी शामिल।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹ 198.95 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राजस्थान जनआधार प्राधिकरण के लिए ₹ 68.50 करोड़ भी शामिल।
- पर्यटन विभाग के लिए ₹ 246.13 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं:

- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के लिए ₹ 2,074.91 करोड़ का प्रावधान।
- वाणिज्य कर विभाग के लिए ₹ 938.17 करोड़ का प्रावधान जिसमें राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान के लिए ₹ 903.00 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित।
- विधि विभाग के लिए ₹ 446.46 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस विभाग के लिए ₹ 230.63 करोड़ का प्रावधान।

- होम गार्ड्स विभाग के लिए ₹ 104.03 करोड़ का प्रावधान।
- जेल भवनों के लिए ₹ 42.66 करोड़ का प्रावधान।
- कोष एवं लेखा विभाग के लिए ₹ 63.71 करोड़ का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

SCHEMES / PROJECTS OUTLAY

2022-23

Highlights of Schematic Outlay 2022-23

₹ 1,69,655.55 crore are proposed under Schematic Outlay in Budget Estimates 2022-23. The Sector-wise details of the Schemes outlay is as under:-

(₹in crore)

S. No.	Sector	Proposed Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	11577.83	6.82
2.	Rural Development	28051.71	16.54
3.	Special Area Programme	289.22	0.17
4.	Irrigation & Flood Control	6135.46	3.62
5.	Power	25260.33	14.89
6.	Industry & Minerals	2093.59	1.23
7.	Transport	10026.87	5.91
8.	Scientific Services	24.17	0.01
9.	Social & Community Services	78631.61	46.35
10.	Economic Services	3387.69	2.00
11.	General Services	4177.07	2.46
	Total	169655.55	100.00

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Provision of ₹ 4,127.12 crore for Agriculture Department which includes;
 - ₹ 2,200.00 crore for PM Fasal Bima Yojana & Weather Based Crop Insurance Scheme
 - ₹ 350.00 crore for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
 - ₹ 395.25 crore for National Food Security Mission
 - ₹ 300.00 crore for Water Management
 - ₹ 90.00 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
 - ₹ 134.22 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology
 - ₹ 70.97 crore for Paramparagat Krishi Vikas Yojana
 - ₹ 26.00 crore for National Mission on Sustainable Agriculture
- Provision of ₹ 1,439.49 crore for Horticulture Department which includes;
 - ₹ 300.18 crore for PM Kusum (Component-B)
 - ₹ 261.82 crore for Micro Irrigation Scheme
 - ₹ 104.25 crore for National Horticulture Mission
 - ₹ 500.00 crore for Additional Subsidy for Micro Irrigation Scheme

- Provision of ₹ 393.95 crore for Five Agriculture Universities.
- Provision of ₹ 507.20 crore for Agriculture Marketing which includes;
 - ₹ 377.50 crore for Development Scheme of RSAMB.
 - ₹ 122.70 crore for PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme.
- Provision of ₹ 574.78 crore for Animal Husbandry Department which includes;
 - ₹ 260.38 crore for Veterinary Hospitals and Dispensaries.
 - ₹ 51.56 crore for Mukhyamantri Pasudhan Nishulk Dava Yojana.
 - ₹ 20.00 crore for Livestock Breed Improvement Scheme
- Provision of ₹ 131.25 crore for Veterinary & Animal Science University, Bikaner
- Provision of ₹ 1,518.40 crore for Gopalan Department which includes;
 - ₹ 724.00 crore for Grant to Goshalas
 - ₹ 440.00 crore for Mukhyamantri Milk Producer Sambal Scheme
 - ₹ 200.00 crore for Nandishala Scheme
- Provision of ₹ 6.84 crore for Fisheries Department
- Provision of ₹ 588.07 crore for Forest Department which includes;
 - ₹ 70.47 crore for Project Tiger, Ranthambhor
 - ₹ 163.92 crore for Regeneration of Degraded Forests
 - ₹ 117.09 crore for Climate Change and Combating Desertification
- Provision of ₹ 2,256.48 crore for Cooperative, which includes;
 - ₹ 1,000.00 crore for Agriculture Loan Waiver Scheme
 - ₹ 748.41 crore for Interest Subsidy for Credit Cooperative Institutions
- Provision of ₹ 34.25 crore for Watershed Development and Soil Conservation.
- **Important physical targets:**
 - Area under Food Crops – 156.06 lakh hect.
 - Production of Food Crops – 245.07 lakh M.T.
 - Area under Oilseeds – 54.05 lakh hect.
 - Production of Oilseeds – 79.27 lakh M.T.
 - Area under Sugarcane – 0.05 lakh hect.
 - Production of Sugarcane – 3.50 lakh M.T.
 - Area under Cotton – 7.80 lakh hect.
 - Production of Cotton – 27.99 lakh bales.

- Artificial Insemination – 64.00 lakhs
- Castration – 6.00 lakhs
- Fish Seed Production – 1,350 Million (No.)
- Fish Production – 80,000 M.T.
- Distribution of Plants – 55.00 lakh
- Plantation (Forestry) – 56,866.35 hect.

II. Rural Development

➤ ₹ 28,051.71 crore for Rural Development & Panchayati Raj which includes;

- ₹ 3,750.47 crore as Grants to PRIs under Central Finance Commission
- ₹ 7,146.11 crore for Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameen
- ₹ 3,906.70 crore for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MG NREGS)
- ₹ 7,113.00 crore as Grants to PRIs under State Finance Commission
- ₹ 1,625.00 crore for Swachh Bharat Mission (Rural)
- ₹ 352.42 crore for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Watershed Component)
- ₹ 400.00 crore for Rajeev Gandhi Jal Sanchay Yojana
- ₹ 1,000.00 crore for MLA Local Area Development Scheme
- ₹ 362.38 crore for aid to Zila Parishad
- ₹ 738.00 crore for National Rural Livelihood Mission
- ₹ 906.12 crore aid to Block/mid Level Panchayats

Important physical targets:

- Construction of 3.97 lakh new houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin).
- Construction of 2,00,000 Toilets (IHHL) under swachh Bharat Mission.
- 1,40,000 Hectare Area to be treated under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana

III. Special Area Programme

- Provision of ₹ 289.22 crore for Special Area Programmes which includes;
- ₹ 200.00 crore as State Grant for Rural Employment
 - ₹ 69.22 crore for Border Area Development Programme
 - ₹ 10.00 crore for Magra Area Development Programme
 - ₹ 10.00 crore for Mewat Area Development Programme

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹ 6,135.46 crore for Irrigation & Flood Control which includes;
 - ₹ 813.00 crore for Parwan Project
 - ₹ 350.13 crore for Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project
 - ₹ 497.92 crore for Externally Aided Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area
 - ₹ 250.00 crore for Dholpur Lift Project
 - ₹ 354.00 crore for Eastern Rajasthan Canal Project
 - ₹ 201.28 crore for Dam Rehabilitation & Improvement Project
 - ₹ 226.00 crore for Minor Irrigation Works
 - ₹ 410.00 crore for Water Harvesting Structures
 - ₹ 200.00 crore for Upper High Level Canal on Mahi Dam
- Provision of ₹ 512.21 crore for Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner
- Provision of ₹ 119.22 crore for Indira Gandhi Nahar Project, Jaisalmer
- Provision of ₹ 487.90 crore for Command Area Development
- **Important physical targets:**
 - Additional irrigation potential to be created in 43,947.94 hectares-
 - 27,857 hect. through Major Irrigation Schemes
 - 3,000 hect. through Medium Irrigation Projects
 - 13,090.94 hect. through Minor Irrigation Schemes

V. Power

Provision of ₹ 25,260.33 crore for Power Sector which Includes;

- Provision of ₹ 21,020.44 crore for Power Tariff Subsidy
- ₹ 2,314.62 crore as Equity Support to Power Companies which includes;
 - ₹ 312.48 crore for Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - ₹ 210.00 crore for Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam
 - ₹ 1,792.14 crore for Discoms
- Provision of ₹ 1,643.97 crore as subsidy for Electricity Duty
- Provision of ₹ 69.97 crore for Agriculture Consumers for Relief in Power Tariff

VI. Industry and Minerals

- Provision of ₹ 1,495.05 crore for HPCL Rajasthan Refinery Ltd.

- Provision of ₹ 390.58 crore for Industries Department which includes;
 - ₹ 300.00 crore for Rajasthan Investment Promotion Scheme
- Provision of ₹ 105.00 crore for RIICO
- Provision of ₹ 33.62 crore for Mines & Geology Department
- **Important physical targets:**
 - Interest Subsidy to 11,000 persons under Mukhyamantri Laghu Udhog Protsahan yojana
 - Interest Subsidy to 1,500 persons under Pradhanmantri Rojgar Srajan Yojana
 - 35 Udhogic Protsahan Shivar at Zila Level and 250 Shivar at Panchayat Samiti Level

VII. Transport

- Provision of ₹ 8,938.05 crore for Public Works Department which includes;
 - ₹ 2,185.00 crore under State Road Fund (SRF)
 - ₹ 1,425.00 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
 - ₹ 2,260.71 crore for Externally Aided Rajasthan State Highway Development Project (Phase-I ₹ 953.32 crore, Phase-II ₹ 1,307.39 crore)
 - ₹ 800.00 crore under Central Road Fund (CRF)
 - ₹ 150.00 crore for Rural Roads.
 - ₹ 1,050.00 crore for NABARD assisted road works under RIDF
 - ₹ 510.00 crore for Strengthening, Modernization and Widening of State Highways & Major District Roads
 - ₹ 400.00 crore for Maintenance and Renovation of Roads
- **Important physical targets:**
 - Widening, Strengthening & Renewal of 1,945 Km SHW/ MDR.
 - Renewal / Upgradation / Strengthening of 8,750 Km. Rural Roads.
 - Construction of 510 Km Rural Roads.
 - Construction of 1,700 Km Missing Link.
 - Renewal / Upgradation / Strengthening of 90 Km. Urban Roads.
- Provision of ₹ 710.32 crore for Transport Department which includes;
 - ₹ 300.00 crore for Grant to RSRTC (including VGF)
 - ₹ 90.00 crore for Road Safety Fund
 - ₹ 255.00 crore for Reimbursement of Free/Concessional Journey

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹ 19.70 crore for Science & Technology
- Provision of ₹ 4.47 crore for Environment Department

IX. Social & Community Services:

Education

- Provision of ₹ 14,730.32 crore for Elementary Education which includes;
 - ₹ 10,261.75 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA)
 - ₹ 178.63 crore for Samagra Shiksha – Star Project
 - ₹ 500.00 crore for reimbursement of tuition fee to Private Schools under R.T.E.
 - ₹ 300.00 crore for Back to School Campaign
 - ₹ 3,277.60 crore for Primary Schools through Panchayat-Raj Department
 - ₹ 90.00 crore for Free Books distribution in Government Schools of class 1 to 8 students
- Provision of ₹ 1,450.05 crore for Mid Day Meal
- Provision of ₹ 11,844.88 crore for Secondary Education which includes;
 - ₹ 8,270.60 crore for Secondary Schools
 - ₹ 1,938.46 crore for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA)
 - ₹ 298.85 crore for Construction of School Buildings and infrastructure development under NABARD
 - ₹ 427.60 crore for establishment of High Quality Model Schools at Block Level
 - ₹ 270.50 crore for Pre-Matric Scholarship to SC/ST/OBC
 - ₹ 130.00 crore for Cycle Distribution to Girl students
 - ₹ 76.13 crore for Mukhyamantri Jan Sahbhagita School Development Scheme
 - ₹ 140.00 crore for Incentive to Meritorious Girl Students
 - ₹ 60.00 crore for Free Book Distribution
- Provision of ₹ 641.19 crore for College Education Department
- Provision of ₹ 94.89 crore for Technical Education Department
- Provision of ₹ 147.11 crore for Sports & Youth Welfare
- Provision of ₹ 160.42 crore for Sanskrit Education
- **Important physical targets:**
 - Benefit to 8.00 lakh students under R.T.E
 - Benefit to 69.22 lakh students under Mid Day Meal scheme
 - Benefit to 5.66 lakh Girl students under Incentive for Meritorious Girls scheme
 - Benefit to 12,580 Girl students under Scooty Distribution scheme.

- Benefit to 450 students under Mukhyamantri Sambal Yojana.
- Benefit to 4.83 lakh SC Students, 4.66 lakh ST Students and 6.61 lakh OBC Students under Pre-Matric Scholarship for Secondary Education.
- Benefit to 1.40 lakh SC Students, 1.65 lakh ST Students under Pre-Matric Scholarship for Elementary Education.
- Benefit to 3.70 lakh Girl students under Cycle Distribution scheme.
- Benefit to 28,000 students under Laptop Distribution
- Benefit to 1,00,000 students under CM Higher Education Scholarship.

Medical & Health

Provision of ₹ 13,786.47 crore for Medical & Health Sector including Ayush

- Provision of ₹ 4,775.24 crore for Medical & Health Department which includes;
 - ₹ 2,228.00 crore for Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana
 - ₹ 768.38 crore for Nisulk Drug Distribution Scheme
 - ₹ 194.95 crore for Nisulk Janch Yojana
 - ₹ 430.93 crore for Primary Health Centers
 - ₹ 591.80 crore for Community Health Centers
 - ₹ 170.62 crore for Health Sub-Centers
 - ₹ 120.00 crore for construction of Primary Health Centers and Community Health Centers under NABARD
- Provision of ₹ 3,534.21 crore for National Health Mission (NHM) which includes;
 - ₹ 3,301.80 crore for National Rural Health Mission (NRHM)
 - ₹ 152.50 crore for Ambulance Service Yojana
 - ₹ 79.90 crore for National Urban Health Mission
- Provision of ₹ 1,143.00 crore for Family Welfare Department
- Provision of ₹ 2,256.43 crore for Medical Education Department which includes;
 - ₹ 1,615.98 crore for New Medical Colleges
 - ₹ 310.00 crore for Rajasthan Medical Education Society
 - ₹ 119.10 crore for Grant-in-aid to Jhalawar Hospital & Medical College Society
 - ₹ 130.00 crore for New Nursing Colleges
- Provision of ₹ 34.49 crore for Rajasthan Health Science University, Jaipur.
- Provision of ₹ 174.69 crore for Medical College, Bikaner
- Provision of ₹ 239.26 crore for Medical College, Kota
- Provision of ₹ 239.51 crore for Medical College, Udaipur

- Provision of ₹ 468.86 crore for Medical College, Jaipur
- Provision of ₹ 362.77 crore for Medical College, Jodhpur
- Provision of ₹ 230.69 crore for Medical College, Ajmer
- Provision of ₹ 310.03 crore for Ayush (Ayurved, Unani and Homeopathy)
- **Important physical targets:**
 - Health assurance coverage to 1.50 crore families
 - Construction of 113 PHC Buildings, 37 CHC Buildings and 228 Sub Center Buildings.
 - Opening of 142 New Janta Clinic.
 - Establishing of 07 District Public Health Lab.

PHED

- Provision of ₹ 6,795.59 crore for Urban and Rural Water Supply Schemes which Includes;
 - ₹ 384.95 crore for Rajeev Gandhi Lift Canal Phase-III
 - ₹ 302.67 crore for Israda Dam
 - ₹ 1,313.54 crore for Upgradation and Re-organization under Jal Jeevan Mission
- **Important physical targets:**
 - 35.00 Lakh Functional Household Tap Connections (FHTCs) under Jal Jeevan Mission.

Housing & Urban Development

- Provision of ₹ 9,005.95 crore for Housing & Urban Development which includes;
 - ₹ 1,098.63 crore for Externally Aided Rajasthan Urban Sector Development Investment Programme
 - ₹ 729.88 crore for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund
 - ₹ 1,590.30 crore as grants to ULBs under Central Finance Commission
 - ₹ 1,474.08 crore as grants to ULBs under State Finance Commission
 - ₹ 2,625.51 crore as grants to ULBs on account of abolition of Octroi
 - ₹ 97.60 crore for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Yojana
 - ₹ 200.00 crore for Pradhan Mantri Aawas Yojana
 - ₹ 125.00 crore for Swachh Bharat Mission
 - ₹ 200.00 crore for Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme
 - ₹ 100.00 crore for Rajasthan Smart City Scheme
 - ₹ 474.00 crore for Smart City Scheme
 - ₹ 60.00 crore for DAY - National Urban Livelihood Mission

➤ **Important physical targets:**

- 3,000 Self Help Groups to be formed and providing revolving fund under DAY-NULM.
- Target to provide training to 15,000 urban poor under DAY - NULM.
- 3,000 urban poor will be provided financial support through bank for setting up their micro enterprises.
- Construction of 38,592 Houses Under PMAY (Urban).
- Target to provide 4.87 crore meals under Indra Rasoi Yojna.

Labour & Labour Welfare

- Provision of ₹ 793.44 crore for Employment Department which includes ₹ 738.33 crore for Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana
- Provision of ₹ 475.49 crore for Labour Department
- **Important physical targets:**
 - Assistance to 2,00,000 Unemployed persons under Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

- Provision of ₹ 12,578.82 crore for Social Justice & Empowerment Department which includes;
 - ₹ 6,118.00 crore for Chief Minister Samman Old Age Pension Yojana
 - ₹ 2,537.00 crore for Chief Minister Samman Widow Pension Yojana
 - ₹ 692.00 crore for Chief Minister Samman Specialy Abled Pension Yojana
 - ₹ 438.88 crore for National Social Assistance Programme (NSAP) which includes ₹ 267.80 crore for Old Age Pension, ₹ 160.68 crore for Widow Pension & ₹ 10.40 crore for Disability Pension
 - ₹ 307.00 crore for Small & Marginal Old Farmers Samman Pension Scheme
 - ₹ 500.00 crore for Post-Matric Scholarship to SC Students
 - ₹ 305.00 crore for Post-Matric Scholarship to ST Students
 - ₹ 87.77 crore for Post-Matric Scholarship to OBC Students
 - ₹ 580.00 crore for Palanhar Scheme
 - ₹ 237.97 crore for Devnarayan Yojana
 - ₹ 85.00 crore for Chief Minister Relief Fund for Road Accident, Natural Calamities Disaster Relief & others
 - ₹ 126.04 crore for Protection of Civil Rights to SCs/STs
 - ₹ 65.16 crore for PM Aadarsh Gram Yojana

➤ **Important physical targets:**

- Target to benefit 83.30 lakh persons under Chief Minister Samman Pension Yojana for old age, widow & specially abled persons which includes 13.91 lakh persons under National Social Assistance Programme (NSAP) :
 - Old-age Pension to 57.78 lakh persons
 - Widow Pension to 18.99 lakh widows
 - Disability Pension to 6.53 lakh persons
- Target to benefit 4.95 lakh students under Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students
 - SC Scholarship to 2.28 lakh students
 - ST Scholarship to 2.27 lakh students
 - OBC Scholarship to 40,550 students

Directorate of Specially Abled Person

- Provision of ₹ 234.01 crore for Directorate of Specially Abled Persons which includes;
 - ₹ 100.00 crore for Rajya Divyang Kalyan Nidhi
- Important physical targets:
 - Prosthetic Aid to 2,500 persons
 - Scholarship to 250 Specially Abled Students
 - Subsidy to 1,100 persons under Mukhya Mantri Vishesh Yogyjan Swarojagar Yojana
 - Assistance to 300 special abled persons for marriage

Tribal Area Development

- Provision of ₹ 709.35 crore for Tribal Area Development which includes;
 - ₹ 455.32 crore as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi"
 - ₹ 105.00 crore under proviso to Article 275(1) of the Constitution of India
 - ₹ 90.00 crore as Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan
- Important physical targets:
 - Target to benefit 27,210 students through Ashram Hostels, 83,610 students through Maa-Bari Centers and 3,770 Students through Residential School/Modal Public School.
 - Free distribution of Pulses, Oil & Ghee to 1.18 lakh Saharia, 9,066 Khairwa, 3,253 Kathori persons

Women and Child Development

- Provision of ₹ 663.05 crore for Women Development programme which includes;
 - ₹ 320.00 crore for Mukhyamantri Rajshree Yojana
 - ₹ 281.38 crore for Indira Mahila Shakti Yojana (I M Shakti)

- Provision of ₹ 2,526.12 crore for Child Development Services which includes;
 - ₹ 1,241.85 crore for ICDS
 - ₹ 900.00 crore for Supplementary Nutrition
 - ₹ 215.55 crore for National Nutrition Mission
 - ₹ 127.68 crore for PM Matru Vandana Yojana
- Important physical targets:
 - Target to benefit 46.95 lakh children and women through Supplementary Nutrition
 - Target to benefit 3.60 lakh women through PM Matru Vandana Yojana (PMMVY).

Minority Development

- Provision of ₹ 240.34 crore for Minority Development Programme which includes;
 - ₹ 70.00 crore for Madarsa Schools
 - ₹ 57.77 crores for PM Jan Vikas Karykram
- Important physical targets:
 - Target to benefit 1,500 Applicants under CM Anuprati Scheme.

Directorate of Child Empowerment

- Provision of ₹ 76.80 crore for Directorate of Child Empowerment which includes;
 - ₹ 70.00 crore for Child Protection Scheme

Devasthan Department

- Provision of ₹ 19.84 crore for Devasthan Department which includes ₹ 15.00 crore for Varistha Nagrik Tirth Yatra Yojana

State Insurance & Provident Fund Department

- Provision of ₹ 527.72 crore for State Insurance & Provident Fund Department which includes;
 - ₹ 320.00 crore for Karmik Kalyan Yojana
 - ₹ 200.00 crore for Jeevan Durghatna Bima Yojana

X. Economic Services

- Provision of ₹ 2,291.50 crore for Information Technology & Communication Department which includes;
 - ₹ 1,200.00 crore for CM Digital Services Scheme
 - ₹ 150.00 crore for Fintech Digital University, Jodhpur
 - ₹ 157.00 crore for Data Center & Network Operation Center
- Provision of ₹ 632.13 crore for Food & Civil Supply Department which includes funds of ₹ 624.87 crore for National Food Security Scheme

- Provision of ₹ 198.95 crore for Economic & Statistics Department which includes ₹ 68.50 crore for Rajasthan Jan Aadhar Authority
- Provision of ₹ 246.13 crore for Tourism Department.

XI. General Services

- Provision of ₹ 2,074.91 crore for Disaster Management and Relief Department.
- Provision of ₹ 938.17 crore for Commercial Tax Department which includes ₹ 903.00 crore for subsidy under Rajasthan Investment Promotion Policy.
- Provision of ₹ 446.46 crore for Law Department
- Provision of ₹ 230.63 crore for Police Department
- Provision of ₹ 104.03 crore for Home Guard Department
- Provision of ₹ 42.66 crore for Jail Buildings,
- Provision of ₹ 63.71 crore for Treasuries & Accounts Department.
